कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

प्रतिवेदन के संबंध में

यह प्रतिवेदन उत्तराखण्ड राज्य में 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम' और 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996' दोनों अधिनियमों के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। उत्तराखण्ड में 2017-22 की अवधि के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण विषयक निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2022-23 के दौरान सम्पादित की गई है।

हमने यह प्रतिवेदन अब क्यों तैयार किया?

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार भारत में असंगठित श्रम के एक बड़े हिस्से के रूप में शामिल हैं। उनका काम अस्थायी प्रकृति का होता है, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंध अस्थायी होता है और काम के घंटे अनिश्चित होते हैं। जीवन और अपंगता का जोखिम भी अंर्तनिहित है। परिस्थितियों के मद्देनजर, रोजगार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 में अधिनियमित किया गया था। कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त धन की सुनिश्चितता हेतु भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 में उपकर का प्रावधान किया गया था।

इस संदर्भ में, हमने यह मूल्यांकन करने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा की कि क्या उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड और राज्य में इसकी कार्यदायी संस्था, अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकृत भवन निर्माण कर्मकारों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन प्रभावी और कुशलतापूर्वक ढंग से कर रहें हैं।

इस लेखापरीक्षा में क्या सम्मिलित किया गया है?

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण के कार्यान्वयन की जाँच करने के लिए हमने श्रम विभाग के जिला कार्यालयों, जिन्हें अधिष्ठानों एवं श्रमिकों के पंजीकरण, उपकर के मूल्यांकन एवं संग्रह तथा अधिष्ठानों के निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई है, को शामिल किया है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड जो प्रशासन, निधियों के निवेश, योजनाओं के निर्माण तथा लाभार्थियों को लाभ के वितरण के लिए जिम्मेदार है; उपकर कटौतीकर्ता जो स्रोत पर ही ठेकेदारों के चालू देयकों से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण

उपकर काटते हैं; तथा उपकर संग्रहकर्ता जो भवन योजनाओं को पारित करते समय उपकर एकत्र करते हैं, को भी शामिल किया गया है।

हमने क्या पाया है और हम क्या संस्तुति करते हैं?

हमने निर्माण कर्मकारों तथा निर्माणाधीन भवन के पंजीकरण, उपकर के संग्रहण और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में विसंगतियां पाई, जिनका विवरण निम्नवत है:

- अभिलेखों की समीक्षा और संयुक्त भौतिक सत्यापन करने पर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्माण कार्य अधिष्ठानों का पंजीकरण बड़े स्तर पर अपूर्ण था। राज्य में निर्माणाधीन गतिविधियों के नियमित निगरानी के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं था।

(प्रस्तर 2.1)

- अभिलेखों की जाँच करने और संयुक्त भौतिक सत्यापन के साथ-साथ लाभार्थी सर्वेक्षण करने के पश्चात, लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्माण कर्मकारों का पंजीकरण अधूरा था तथा इसमें गलत निष्कासन तथा समावेशन की त्रुटियां थीं। बोर्ड द्वारा निर्माण कर्मकारों की पहचान के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.2)

- कल्याणकारी उपायों हेतु निधियों में वृद्धि के लिए विभाग, उपकर के निर्धारण एवं संग्रहण के लिए एक व्यापक और अद्यतन विधि तैयार करने में विफल रहा।

(प्रस्तर 3.1.5)

- बोर्ड, राज्य में कार्यरत संस्थाओं के साथ उपकर का समाधान न होने के कारण, उपकर विवरण की आवधिक स्थिति प्रदान करने में विफल रहा।

(प्रस्तर 3.6)

- श्रम विभाग के जिला कार्यालयों ने निर्माण कर्मकारों की मजदूरी, काम की दशाओं, सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण के संबंध में निर्माण स्थलों का निरीक्षण नहीं किया।

(प्रस्तर 4.2, 4.3 एवं 4.5)

- अधिक भुगतान, पात्रता सुनिश्चित किए बिना लाभ देना, लाभों के वितरण में देरी तथा प्रत्यक्ष लाभ भुगतान (डी बी टी) का उपयोग किए बिना लाभ देना, राज्य सरकार के अपेक्षित अनुमोदन के बिना वस्तुओं की अनियमित खरीद एवं वितरण आदि के कारण योजना का कार्यान्वयन त्रुटिपूर्ण था।

(प्रस्तर 5.2.1 से 5.2.6)

- बोर्ड ने, वृद्धावस्था पेंशन के संदर्भ में 10 वर्षों के पंजीकरण की पात्रता पूरी करने वाले और विकलांगता पेंशन के संदर्भ में दुर्घटना के कारण विकलांग, पंजीकृत लाभार्थियों का डेटाबेस तैयार नहीं किया था। राज्य में कोई भी पंजीकृत कर्मकार इन दोनों पेंशन योजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित नहीं था।

(प्रस्तर 5.2.7)

- बोर्ड का वित्तीय प्रबंधन खराब था, क्योंकि इसने वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2021-22 के बीच अनुमानित प्राप्ति और व्यय दिखाते हुए अपना बजट तैयार एवं प्रस्तुत नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, बोर्ड ने सरकार की स्वीकृति के बिना उक्त अवधि के दौरान ₹ 607.09 करोड़ व्यय किए।

(प्रस्तर 6.2.1)

- बोर्ड के पास विभिन्न स्तरों के पदों एवं उनकी भर्ती के तरीके के लिए कोई संगठनात्मक संरचना नहीं थी। प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए श्रम विभाग के जिला कार्यालयों में कुल 42 से 54 *प्रतिशत* पद लगातार रिक्त थे। इसने निर्माण कार्य अधिष्ठानों के पंजीकरण, निर्माण कर्मकारों के पंजीकरण तथा योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

(प्रस्तर 6.5)

अनुशंसाएँ

योजना के कार्यान्वयन में सुधार हेतु, राज्य सरकार निम्नलिखित अनुशंसाओं पर विचार कर सकती है:

1. ***राज्य सरकार के पास सरकारी निर्माण कार्यों के पंजीकरण हेतु ऐसा तंत्र होना चाहिए जिससे पंजीकरण की पुष्टि के बाद ही अनुबंध अथवा ठेकेदार के पहले बिल का भुगतान किया जा सके। अनुपालन नहीं करने के मामलों में उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।***
2. ***बोर्ड को शपथ पत्र / स्व-घोषणा के आधार पर कर्मकारों के पंजीकरण का सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए।***
3. ***बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके लाभार्थियों के डेटाबेस में प्रमाणित आधार संख्या और मान्य बैंक खाता संख्या शामिल है और सत्यता बनाए रखने के लिए इस डेटाबेस को समय-समय पर अद्यतन किया जाना चाहिए।***

4. *सरकार को निर्माण की लागत और उपकर को यथासंभव सही रूप से प्राप्त करने के लिए एक व्यापक और अद्यतन दर तैयार करनी चाहिए।*
5. *संबंधित अधिकारियों द्वारा बकाया उपकर की वसूली और एकत्रित उपकर का समय पर कल्याण बोर्ड को हस्तांतरण, उचित निगरानी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।*
6. *बोर्ड एक ऐसी व्यवस्था स्थापित कर सकता है, जिसके तहत उपकर की राशि सीधे विकास प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के बैंक खातों में जमा की जाए और विकास प्राधिकरण द्वारा मासिक मिलान विवरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।*
7. *उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को निर्माण स्थलों पर होने वाली दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग और जान-माल की हानि या चोट लगने की स्थिति में श्रमिकों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रक्रिया तैयार करनी चाहिए।*
8. *श्रम विभाग को निर्माण स्थलों पर स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्य स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी और व्यापक निरीक्षण करना चाहिए साथ ही पर्याप्त और त्वरित अग्रिम कार्यवाही भी करनी चाहिये। अनुपालन नहीं होने पर नियोक्ताओं पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।*
9. *बोर्ड को अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करके और डी बी टी का उपयोग करके मौजूदा आदेशों के अनुसार लाभ प्रदान करना चाहिए।*
10. *सरकार को स्वास्थ्य और जीवन बीमा की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पंजीकृत श्रमिकों का उचित कवरेज सुनिश्चित करना चाहिए। अन्य विभागों की योजनाओं के साथ समन्वय/ एकीकरण की भी संभावना तलाशी जा सकती है।*
11. *बोर्ड को सूचना, शिक्षा और संचार (आई ई सी) गतिविधियों के माध्यम से निर्माण श्रमिकों के बीच कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।*
12. *उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को अपने वार्षिक लेखे समय पर प्रस्तुत करने चाहिए और उनकी लेखापरीक्षा करवाना सुनिश्चित करना चाहिए।*

13. *पंजीकृत श्रमिकों को बोर्ड द्वारा जारी किए गए पहचान पत्रों में कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी वितरण की सुविधा के लिए, आधार से जुड़े बैंक खाते के साथ एकीकृत विशिष्ट पहचान संख्या होनी चाहिए।*
14. *सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करनी चाहिए जो अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं।*
15. *सरकार को बोर्ड के वित्तीय विवरणों का उचित मिलान सुनिश्चित करना चाहिए और बैंक और बोर्ड के बीच खाता लेनदेन के मिलान न होने के कारण वित्तीय अनियमितताओं के लिए जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।*